## झारखण्ड सरकार,
## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: **संकल्प** ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अलोईस लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–504/03, गृह जिला–पलामू), उप विकास आयुक्त, चतरा की कार्यावधि में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में बिना प्रक्रिया का पालन किये N.G.O. का चयन करने, मनरेगा योजना में सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना अनुशंसा करने, संबंधित N.G.O. को राशि विमुक्त करने, मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा–47(क) का उल्लंघन करने, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्ग–निर्देशिका की कंडिका–22 (A) (I) का अनुपालन नहीं करने, मनरेगा के कार्यों में कर्त्तव्य का पालन नहीं करने तथा मनरेगा की धारा–27(2) का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप, जैसा कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक–68/गो0, दिनांक 20.10.2012 एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–14, दिनांक 04.01.2013 द्वारा संलग्न प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री लकड़ा के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लकड़ा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री लकड़ा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री लकड़ा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

25

**आदेशः–** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अलोईस लकड़ा, झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सूर्य प्रकाश)

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–6/2014 का०– **9668**/राँची, दिनांक **08** सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि– अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/श्री अलोईस लकड़ा, झा0प्र0से0, अपर सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख सॉफ्ट कॉपी के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

ह0/–

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–6/2014 का०– **9668**/राँची, दिनांक **08** सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, चतरा/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला श्री अलोईस लकड़ा, झा0प्र0से0, अपर सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

8.9.17

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

254